## (वाद सं0– BHRC/Comp-3837/2019)

13.04.2022

नोटिस के बावजूद परिवादी, राहुल कुमार, अनुपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, राहुल कुमार, को मुंगेर जिलान्तर्गत ईस्ट कॉलोनी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा अपने दलाल के माध्यम से प्रताड़ित किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर पुलिस अधीक्षक, मुंगेर से प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, मुंगेर द्वारा अपने प्रतिवेदन में पुलिस पर लगाये गये गंभीर एवं स्पष्ट आरोपों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

तदोपरान्त राज्य आयोग द्वारा दिनांक–24.02.2021 को पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर ने अपने स्तर से परिवादी के परिवाद–पत्र व बाद में पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के प्रतिवेदन पर परिवादी द्वारा राज्य आयोग द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर में दिये गये तथ्यों की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नर हत्या से संबंधित ईस्ट कॉलोनी थाना कांड संख्या–36/20, दिनांक–05.06.2020 में एक अभियुक्त, राहुल कुमार, पुत्र–स्व0 शिवभूषण ताँती, है। समान नाम रहने के Confusion में परिवादी को उक्त कांड में थाना बुलाया गया था तथा थाना बुलाकर पुछताछ की गई थी तथा उसे पुछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी की ओर से अनुरोध किया गया है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को परिवादी व उसके परिवार को बिना किसी युक्ति संगत कारण के परेशान न करने का निर्देश दिया जाय।

पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर, के प्रतिवेदन को स्वीकार कर प्रसंगाधीन मामले को इस अनुशंसा के साथ संचिकास्त किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कांड

के अनुसंधान के क्रम में, बिना किसी युक्ति संगत आधार क, पुलिस द्वारा अनावश्यक परेशान न किया जाय।

कार्यालय, आज पारित आदेश को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को भेजते हुए उसकी एक प्रति परिवादी को सूचनार्थ दे दी जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

**निबंधक**